

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा , राजस्थान जयपुर
वित्त भवन ,ए-ब्लॉक , ज्योति नगर जनपथ , जयपुर-302005
(दूरभाष नं०:-0141-2740837 , ,फैक्स 0141-2742309 ,ई-मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(एस-98 / 2023) / अलेसे-III / 6649

दिनांक:- 26/08/2025

कार्यालय आदेश

श्री सेवावत मनीष रघुवीरसिंह, कनिष्ठ लेखाकार, (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी), हाल पदस्थापन डिप्टी रजिस्ट्रार, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, हैण्डलूम हवेली, जयपुर को उनके कोषाधिकारी डीडवाना-कुचामन के पत्रांक 841 दिनांक 02.07.2025 द्वारा अग्रेषित प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्थान सेवा नियमों 96 के अन्तर्गत वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 06.01.2020 के अनुसरण में निम्नानुसार असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

दिनांक 15.01.2025 (कुल 01 दिवस)

उक्त असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज श्री सेवावत मनीष रघुवीरसिंह, कनिष्ठ लेखाकार, (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी), की सेवा पुस्तिका में लाल स्याही से अनिवार्य रूप से अंकित करावें।

f
2

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.4(ई)(एस-98 / 2023) / अलेसे-III / 6649

दिनांक:- 26/08/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. कोषाधिकारी डीडवाना-कुचामन।
2. कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, हैण्डलूम हवेली, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव निदेशक महोदय।
4. उप निदेशक (एसीपी), कार्यालय हाजा।
5. श्री सेवावत मनीष रघुवीरसिंह, कनिष्ठ लेखाकार, (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी), कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, हैण्डलूम हवेली, जयपुर।
6. पदस्थापन सीट / वरिष्ठता सीट / निजिपत्रावली।

(प्रीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)